

(हिमाचल प्रदेश सरकार के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा)
हिमाचल प्रदेश चौदहवीं विधान सभा

अधिसूचना

सं०:वि०स०-विधायन-प्रा०/1-1/2023

शिमला-4, दिनांक 07 अप्रैल, 2026

राज्यपाल महोदय का निम्नलिखित आदेश दिनांक 06 अप्रैल, 2026 सर्वधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:-

"मैं, कविन्द्र गुप्ता, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 (2) (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश चौदहवीं विधान सभा के ग्यारहवें सत्र का तत्काल सत्रावसान करता हूँ।

कविन्द्र गुप्ता,
राज्यपाल,
हिमाचल प्रदेश।"

आदेश द्वारा:-

राज्यपाल
यशपाल शर्मा, 07/04/26
सचिव,

हि० प्र० विधान सभा।

पृ०स०: वि०स०:-विधायन-प्रा०/1-1/2023

शिमला-171004, दिनांक 07 अप्रैल, 2026

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित की जाती है:-

- 1 समस्त माननीय सदस्यगण, हिमाचल प्रदेश विधान सभा।
- 2 हिमाचल प्रदेश से राज्य सभा/लोक सभा के सभी माननीय सांसद, संसद भवन, नई दिल्ली।
- 3 महासचिव, लोक सभा/राज्य सभा, संसद भवन नई दिल्ली।
- 4 मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला- 2
- 5 सचिव, भारत सरकार, संसदीय कार्य मंत्रालय, संसद भवन, नई दिल्ली।
- 6 सचिव, निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन अशोका रोड, नई दिल्ली।
- 7 अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला- 2।
- 8 प्रधान निजी सचिव एवं विशेष सचिव, माननीय मुख्य मंत्री, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला- 2
- 9 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव, माननीय उप-मुख्य मंत्री, निजी सचिव, माननीय नेता प्रतिपक्ष, प्रधान/विशेष/वरिष्ठ/निजी सचिव, समस्त माननीय मंत्रीगण एवं माननीय उप-मुख्य सचेतक, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2।
- 10 सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, हिमाचल प्रदेश।
- 11 प्रधान सचिव/सचिव, समस्त विधान मण्डल भारत वर्ष में।
- 12 समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश।
- 13 निदेशक, आकाशवाणी/दूरदर्शन शिमला। उनसे निवेदन है कि वे इस समाचार को एक से अधिक प्रसारणों में प्रसारित करने की कृपा करें।

राज्यपाल
यशपाल शर्मा, 07/04/26
सचिव,

हि० प्र० विधान सभा।